सं. 19(9)/ई.कॉर्ड/2012
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
***

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 12 जुलाई, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय संगोष्ठी/सम्मेलन आयोजित किए जाने के लिए अनुमोदन-प्रतिनिधियों को प्रोत्साहन।

यह देखा गया है कि मंत्रालय/विभाग अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां/सम्मेलन आयोजित करने से संबंधित प्रस्ताव, सचिव (व्यय) के माध्यम से मंत्रिमंडल सचिव के अनुमोदन के लिए भेजते हैं। इनमें विदेशी प्रतिनिधियों को यात्रा एवं आवास के लिए सहायता प्रदान करने की वचनबद्धता पहले ही की जा चुकी होती है। कुछ मामलों में, पारस्परिकता अथवा आपसी समझबूझ अथवा समझौता ज्ञापन न होने के बावजूद मेजबान विभाग/मंत्रालय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बगैर प्रतिभागियों को ऐसी मदद के लिए स्वयं वचनबद्ध हो जाते हैं।

2. इसलिए, मंत्रिमंडल सचिव के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि संगोष्ठी/सम्मेलन पर होने वाले खर्च पर ध्यान दिए बिना, सचिव (व्यय)/मंत्रिमंडल सचिव के पूर्वानुमोदन के बगैर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में भाग लेने वाले विदेशी प्रतिभागियों की यात्रा/आवास व्यय वहन करने के लिए कोई वचनबद्धता नहीं दी जानी चाहिए।

मधुलिका प्रसाद

(मधुलिका पी. सुकुल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23093283

सेवा में,
1. भारत सरकार के सभी सचिव
2. सभी वित्त सलाहकार (नाम से)